प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 22 अगस्त, 2025

विषयः- जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शराफत पुत्र श्री अबुलास, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-16469/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.04.2024), दिनांक 10.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शराफत पुत्र श्री अबुलास, जो कम्हेड़ा, थाना-ककरौली, जिला-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 19.03.2004 को रफीक नामक व्यक्ति से तमंचा मांगने पर उसके द्वारा मना करने के कारण अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रफीक व जावेद को झोपड़ी में धक्का देकर गिरा दिया तथा झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे दोनों की जलकर मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-148/2005 में भा०द०वि० की धारा-147, 148, 149, 302, 201, 436 के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-12, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 16.08.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 08 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 05 माह, 02 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्राबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि रफीक नामक व्यक्ति से तमंचा मांगने पर उसके द्वारा मना करने के कारण अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रफीक व जावेद को झोपड़ी में धक्का देकर गिरा दिया तथा झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे दोनो की जलकर मृत्यु हो जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शराफत पुत्र श्री अबुलास को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शराफत (बंदी संख्या-4068/2012) पुत्र श्री अबुलास, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1064/2025/912(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1064/2025/912/22-2-2024-17(289)/2024

दिनांक 22 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शराफत पुत्र श्री अबुलास, जो कम्हेड़ा, थाना-ककरौली, जिला-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 19.03.2004 को रफीक नामक व्यक्ति से तमंचा मांगने पर उसके द्वारा मना करने के कारण अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रफीक व जावेद को झोपड़ी में धक्का देकर गिरा दिया तथा झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे दोनों की जलकर मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-148/2005 में भा०द०वि० की धारा-147, 148, 149, 302, 201, 436 के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-12, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 16.08.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 08 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 05 माह, 02 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्राबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि रफीक नामक व्यक्ति से तमंचा मांगने पर उसके द्वारा मना करने के कारण अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रफीक व जावेद को झोपड़ी में धक्का देकर गिरा दिया तथा झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे दोनो की जलकर मृत्यु हो जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शराफत पुत्र श्री अबुलास को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।